

प्रारूप-स

आधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना आयोग द्वारा लोक प्राधिकरणों में नाभित सूचना अधिकारियों पर अरोपित अर्धदण्ड का विवरण

माह का नाम : नवम्बर, 2025

अपराध का नाम	अन-सूचना अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध दण्ड पारित किया गया	दण्ड पारित करने का दिनांक	दण्ड से निहित क्षति	पारित दण्ड के विरुद्ध विभाग द्वारा अपील की गयी क्षति	विभाग द्वारा अन-सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति (यदि कोई हो)	पारित दण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही	अभ्युक्ति
01 राज्य कर विभाग, मुरादाबाद जेन, मुरादाबाद	श्री दिव्यामूर्ति, कार्यालय राज्य कर अधिकारी खण्ड-2 नजीबाबाद।	16.04.2018	रु0 25000.00	अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर मुरादाबाद के पत्र सं0 2457 दि0 10.09.2025 एवं पत्र सं0 2715 दि0 27.09.2025 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार इस कार्यालय के पत्र सं0 1503 दिनांक 27.10.2025 द्वारा श्री दिव्यमूर्ति उपायुक्त राज्य कर लखनऊ को पत्र भेजित करते हुए मा0 सूचना आयोग के समक्ष नम्रित बाद एवं पारित अर्धदण्ड जमा की अवधान स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।	शून्य	अधिरोपित अर्धदण्ड के सम्बन्ध में माननीय जिलाधिकारी बिजनौर के पत्र संख्या- 220 दिनांक 24.02.2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 25-02-2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी भिन्नी है। अर्धदण्ड समाप्ति हेतु इस स्तर से माननीय सूचना आयुक्त के समक्ष प्रत्यावेदन पत्र संख्या- 589 दिनांक 25.02.2021 में किया गया है जो मा0 राज्य सूचना आयोग में भविष्यत है। इस कार्यालय द्वारा उपायुक्त राज्य कर, खण्ड-2 नजीबाबाद को पत्र सं0 140 दि0 09.05.2018 एवं पत्र सं0 801 दिनांक 17.02.2022 लिखा गया तथा श्री दिव्यमूर्ति, उपायुक्त राज्य कर, खण्ड-4, मेरठ को पत्र सं0- 1151 दिनांक 01-03-2023 को अर्धदण्ड जमा कराने हेतु भेजित किये गये हैं।	
						प्रश्नगत प्रकरण में मेरे द्वारा संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर सम्भाग- बिजनौर को पत्र सं0 2457 दिनांक 10-09-2025 एवं प्रथम अनुस्मारक पत्र सं0 2715 दिनांक 27.09.2025 के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि माननीय सूचना आयोग के समक्ष लम्वित प्रत्यावेदन की अवधान स्थिति में अवगत होवे हुए कोई चूट न होने पर अधिरोपित अर्धदण्ड की कटौती वेतन से कराने हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराना सुनिश्चित करें।	शून्य

राज्य कर	श्रीमती सरिता सिंह, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/डि० कमि० (प्रशा०) वा०क्र० झांसी ।	22.11.2012	25000.00	00	00	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डि० कमिश्नर (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि उनके प्रयावेदन पर मा० राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ द्वारा अभी सुनवाई की कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है ।	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डि० कमिश्नर (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि शिकायत अपील सो- 1/2482सी०/2011 के मामले में आदेश दिनांक 22.11.2012 के विरुद्ध मेरे द्वारा मा० राज्य सूचना आयुक्त उ०प्र० लखनऊ के समक्ष अपील क्रमांक-104002 दिनांक 20.03.2018 दायर की गयी है जो अभी वर्तमान में लब्धित है ।
----------	--	------------	----------	----	----	--	--

नोट:- संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, झांसी के कार्यालय द्वारा पत्र संख्या-659/29.06.2024, 736/08.07.2024, 797/16.07.2024, 1445/28.09.2024, 952/22.11.2024, 2621/20.01.2025, 254/29.04.2025 एवं 557/27.05.2025 के माध्यम से श्रीमती सरिता सिंह, अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि०अनुशा०) राज्य कर, गाजियाबाद तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, वाणिज्य कर, झांसी को पत्र प्रेषित करते हुए मा० राज्य सूचना आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ के समक्ष दायर अपील क्रमांक 104002 दिनांक 20.03.2018 की अवतन स्थिति से अवगत कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जो अभी तक अप्राप्त है ।

(कमलेश कुमार)

उपायुक्त(जनसूचना) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।